

स्वीकृति पत्र

उत्पन्न दिनांक	
स्वीकृत तिथि	
आवेदन संख्या:	
उधारकर्ता का नाम	
वर्तमान पता	
फोन संख्या	

प्रिय महोदय/महोदया,

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि होम कंस्ट्रक्शन के लिए आपके ऋण आवेदन पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा विचार किया जाता है। हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमने सिद्धांत रूप में, नीचे दी गई शर्तों और अतिरिक्त शर्तों पर ऋण स्वीकृत कर दिया है।

ऋण सुविधा का प्रकार	ऋण राशि(₹)	ब्याज दर	ब्याज दर का प्रकार	ईएमआई (₹)	कार्यकाल (महीने)	ब्याज रीसेट आवृत्ति	PEMI/EMI देय तिथि

*फ्लेक्सी – फ्लेक्सी रेट का मतलब है पहले 3 वर्षों के लिए तय की गई ब्याज दर

हम अपने प्रस्ताव के प्रमुख नियमों और शर्तों पर प्रकाश डालते हुए टर्म शीट के साथ संलग्न कर रहे हैं। विस्तृत शर्तें ऋण समझौते के अनुसार होंगी। कृपया ध्यान दें कि इस स्वीकृति पत्र में सांकेतिक नियम और शर्तें हैं और ऋण वितरित करने के लिए बैंक की ओर से कोई दायित्व नहीं है।

स्वीकृति पत्र को डुप्लिकेट में अग्रेषित किया जाता है ताकि आप लिखित रूप में पुष्टि कर सकें कि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं। कृपया हस्ताक्षर करें और डुप्लिकेट कॉपी वापस कर दें।

यदि आपको अपने ऋण खाते पर किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक हमारे रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करें। हमारी रिलेशनशिप टीम को आपकी सहायता करने में खुशी होगी।

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आप 1000 रुपये तक की प्री-अप्रूव्ड लिमिट के भी हकदार हैं। स्वीकृत ऋण के संवितरण के बाद दोपहिया वाहन की खरीद के लिए _____ रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए, कृपया हमसे 180012001200 पर संपर्क करें या हमें customercare@aubank.in पर मेल करें या <https://twl.aubank.in> पर जाएं। नियम एवं शर्तें लागू होती हैं।

के लिए: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

के लिए:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नक 1 - स्वीकृत ऋण सुविधा के नियम और शर्तें

1.	कर्जदार नाम	
2.	सह-उधारकर्ता का नाम	
3.	गारंटर का नाम	
4.	बंधक का नाम	
5.	सुविधा का प्रकार	
6.	उद्देश्य	
7.	ऋण राशि	

8.	कार्यकाल (ईएमआई)																			
9.	का प्रकार ब्याज दर																			
10.	की दर ब्याज (आरओआई)																			
11.	ब्याज का रीसेट	भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार तिमाही रीसेट के अधीन ब्याज दर को रीसेट किया जाएगा <table><tr><td>पहला रीसेट</td><td>अगला रीसेट</td></tr><tr><td>पहले 3 साल के लिए ब्याज दर तय की जाती है। इसके बाद इसे परिवर्तनीय दर में बदल दिया जाएगा और पहली रीसेट तिथि पहली संवितरण तिथि की तारीख से 36 वें महीने की सालगिरह की तारीख को होगी</td><td>अगली रीसेट तिथि अंतिम रीसेट तिथि से हर 3 महीने की सालगिरह की तारीख पर होगी।</td></tr></table>	पहला रीसेट	अगला रीसेट	पहले 3 साल के लिए ब्याज दर तय की जाती है। इसके बाद इसे परिवर्तनीय दर में बदल दिया जाएगा और पहली रीसेट तिथि पहली संवितरण तिथि की तारीख से 36 वें महीने की सालगिरह की तारीख को होगी	अगली रीसेट तिथि अंतिम रीसेट तिथि से हर 3 महीने की सालगिरह की तारीख पर होगी।														
पहला रीसेट	अगला रीसेट																			
पहले 3 साल के लिए ब्याज दर तय की जाती है। इसके बाद इसे परिवर्तनीय दर में बदल दिया जाएगा और पहली रीसेट तिथि पहली संवितरण तिथि की तारीख से 36 वें महीने की सालगिरह की तारीख को होगी	अगली रीसेट तिथि अंतिम रीसेट तिथि से हर 3 महीने की सालगिरह की तारीख पर होगी।																			
12.	पूर्व भुगतान दंड	<table><tr><td colspan="2">आंशिक पूर्व भुगतान के लिए</td></tr><tr><td>यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है।</td></tr><tr><td rowspan="2">यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस (वित्त वर्ष की शुरुआत) के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।</td></tr><tr><td>वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 5%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।</td></tr><tr><td rowspan="2">यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>यदि पीओएस (वित्त वर्ष से शुरू) के 25% तक राशि जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।</td></tr><tr><td>वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 3%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक मूलधन की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।</td></tr><tr><td colspan="2">पूर्ण बंद होने के तहत</td></tr><tr><td>यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>बंद होने के समय शेष राशि का 5%।</td></tr><tr><td>यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>बंद होने के समय शेष राशि का 4%।</td></tr><tr><td colspan="2">*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।</td></tr></table>	आंशिक पूर्व भुगतान के लिए		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है	राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है।	यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस (वित्त वर्ष की शुरुआत) के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।	वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 5%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।	यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि पीओएस (वित्त वर्ष से शुरू) के 25% तक राशि जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।	वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 3%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक मूलधन की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।	पूर्ण बंद होने के तहत		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%।	यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 4%।	*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।	
आंशिक पूर्व भुगतान के लिए																				
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है	राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है।																			
यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस (वित्त वर्ष की शुरुआत) के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।																			
	वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 5%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।																			
यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि पीओएस (वित्त वर्ष से शुरू) के 25% तक राशि जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।																			
	वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 3%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक मूलधन की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।																			
पूर्ण बंद होने के तहत																				
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%।																			
यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 4%।																			
*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।																				
13.	किस्त कुल धनराशि																			
14.	किस्त की तारीख																			
15.	संवितरण का तरीका	• ऋण का संवितरण परियोजना लागत और किए गए व्यय और निर्माण की प्रगति के लिए बिल/चालान/कोटेशन/अनुमान के आधार पर किया जाएगा। • उधारकर्ता के निर्देशों के अनुसार संवितरण सीधे बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ बनाए गए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के खाते में किया जाएगा। • प्रतिपूर्ति के मामले में, उधारकर्ता को बैंक को स्वीकार्य बिल/प्रोफार्मा चालान/कोटेशन/अनुमान या कोई अन्य उपकरण प्रदान करना होगा। • ऋण परियोजना की प्रगति के आधार पर चरणों में वितरित किया जाएगा, बैंक के अधिकारी/तकनीकी अधिकारी निर्माण स्थल का दौरा करेंगे और इस तरह के संवितरण के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। • यदि संवितरण किस्तों में किया जा रहा है, तो अंतिम संवितरण के समय तक, उधारकर्ता को पूर्व भुगतान करना होगा •																		
		ईएमआई। अंतिम संवितरण या 9 महीने पूरा होने के बाद, जो भी पहले हो, ऋण की ईएमआई शुरू होगी और उधारकर्ता द्वारा देय हो जाएगी।																		

16.	पुनर्भुगतान अनुसूची	• ऋण का पुनर्भुगतान अंतिम संवितरण के महीने से शुरू होने वाली 240 ईएमआई के माध्यम से किया जाएगा। संवितरण माह में, यदि कोई हो, तो शुरू की गई ईएमआई की टूटी हुई अवधि तक प्री-ईएमआई लागू होगी • प्री-ईएमआई का भुगतान ऋण बकाया शेष राशि पर लगाए गए ब्याज के रूप में मासिक शेष राशि पर डेबिट होने पर किया जाएगा • आंशिक संवितरण के मामले में, अंतिम संवितरण और ईएमआई शुरू होने तक ऋण बकाया शेष राशि पर प्री-ईएमआई लागू होगी • वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर प्रत्येक वर्ष में एक बार खाते का विवरण प्रदान किया जाएगा •
17.	पुनर्भुगतान मोड	ईएमआई या प्री-ईएमआई का भुगतान संबंधित देय तिथियों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (लागू) के अनुसार ई-मैनेट के माध्यम से किया जाएगा।
18.	प्राथमिक संपार्श्विक सुरक्षा	
19.	माध्यमिक / अतिरिक्त आनुषंगिक प्रतिभूति	
20.	सुरक्षा पीडीसी	2 उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर से एसपीडीसी प्राप्त किया जाएगा
21.	पार करना संपार्श्विक पर	एक. एक या एक से अधिक सुविधाओं के लिए दी जाने वाली और बैंक को प्रभारित की जाने वाली प्रतिभूतियां उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता ("बाध्यकारी") को समय-समय पर प्रदान की जाने वाली अन्य सभी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में खड़ी होंगी। बैंक ऐसे सभी ऋणों को क्रॉसलिक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दो. एक उधारकर्ता इकाई/व्यक्ति की सुविधाओं के लिए दी जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों को दूसरे उधारकर्ता इकाई/व्यक्ति की सुविधाओं के लिए क्रॉस कोलैटरलाइज्ड किया जाता है और इसके विपरीत भी होता है।

22.	विशिष्ट शर्तें लागू	संवितरण से पहले सभी कानूनी वारिस एनओसी के साथ-साथ उनके केवाईसी का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। सकारात्मक एफआई, आरसीयू, कानूनी और तकनीकी रिपोर्ट के अधीन। संवितरण चेक की वैधता संवितरण की तारीख से 60 दिन है।
23.	सुरक्षा/शर्तें मिसाल/दस्तावेजीकरण	एक. ऋण समझौता। दो. वचन पत्र की मांग करें। तीन. बिक्री के लिए करार/अनुमान/त्रिपक्षीय करार। चार. पीडीसी/एसीएच/स्थायी निर्देश। पाँच. क्रेडिट सूचना कंपनियां जांच। छः. संवितरण से पहले सत्यापन के लिए सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सात. संवितरण क्रेडिट सत्यापन संतोषजनक होने के अधीन है। आठ. सभी दस्तावेजों को आवेदक/सह-आवेदक द्वारा स्व-सत्यापित किया जाना चाहिए। नौ. ऋण का वितरण कानूनी और तकनीकी मंजूरी के अधीन किया जाएगा। दस. कानूनी रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, स्टॉप शुल्क, प्रलेखन, पंजीकरण या किसी भी अन्य शुल्क से संबंधित सभी शुल्क बैंक के प्रभारों की अनुसूची के अनुसार उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाने चाहिए। ग्यारह. पीएमएवाई-आईएसएस के अनुसार दस्तावेज (बशर्ते उधारकर्ता पीएमएवाई योजना के लिए पात्र हो)। बारह. नकारात्मक सूची चेक/डिफॉल्टर्स की सूची जांच आदि।
24.	व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी	
25.	वैधता	उपर्युक्त प्रस्तावित शर्तें मंजूरी की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध हैं।
26.	पुनर्भुगतान के मामले में अतिरिक्त ब्याज डिफॉल्ट या वाचा उल्लंघन/गलत बयानी	अतिदेय ईएमआई पर ब्याज: ईएमआई डिफॉल्ट पर ब्याज की अनुबंधित दर (ऋण आईआरआर) पर दंड शुल्क: 0.65 रुपये प्रति 1000 रुपये (या उसके हर हिस्से) पर अतिदेय किस्त पर प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा।

लागू शुल्क: प्रचलित दर के अनुसार लागू जीएसटी और अन्य सरकारी कर शुल्क और शुल्क के अलावा और अधिक शुल्क लिए जाएंगे।

विवरण#	राशि (₹ में)
प्रोसेसिंग शुल्क*	
प्रशासनिक प्रभार**	
मूल्यांकन शुल्क	
कानूनी आरोप	
आरसीयू शुल्क	
Cersai शुल्क	
संपार्श्विक बीमा (संपत्ति)***	
लोन सुरक्षा प्रीमियम****	
केयर सीआई और पीए	
CARE_AUSS	
ABHI_AUSS	
आदित्य बिड़ला सीआईपीए v2.0 एचएल	
अभि पीए और HDC_HL	
केयर पीए और HDC_HL	
चोला, एमएस, पीए और HDC_HL	
आईसीआईसीआई Lombard_BGR_HL	
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीसीआई और पीए एचएल	
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीपीए और एचडीसी एचएल	
आईसीआईसीआई Lombard_ ऑस	
स्टार HI GCI और PA_HL	
स्टार HI, PA और HDC_HL	
एयू एसएस Insurance_TATA AIG_HL	
एयू एसएस Insurance_CHOLA MS_HL	
स्टार HI AU SS_HL	
कोटक जीवन Insurance_AHL	
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड-Hospicash_AHL	
स्टैंडअलोन ईएमआई प्रोटेक्ट	
PA+ EMI प्रोटेक्ट	
सीआईपीए	

*प्रोसेसिंग शुल्क गैर पीएमएवाई-आईएसएस योजना के मामलों पर लागू है

**** प्रशासनिक शुल्क केवल पीएमएवाई-आईएसएस मामलों पर लागू है**

प्रीमियम की स्वीकृति संबंधित बीमा कंपनी को जोखिम की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं बनाती है। बीमा कवर बीमा कंपनी की संतुष्टि और बीमा कंपनी के कहने पर अपेक्षित दस्तावेजों, विवरणों और चिकित्सा परीक्षाओं के संचालन को प्रस्तुत करने के अधीन है। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा आवेदन के तहत जोखिम स्वीकार किए जाने और बीमित व्यक्ति को इस तरह के लेखन के बारे में सूचित किए जाने के बाद बीमा कवर शुरू होगा। बीमा कवर संबंधित बीमा कंपनी द्वारा जारी/विस्तारित किया जाएगा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

जैसा कि लागू है और ऊपर उल्लेख किया गया है, प्री ईएमआई। वास्तविक प्री-ईएमआई संवितरण की तारीख के आधार पर भिन्न हो सकती है और इसे संवितरण राशि से काट लिया जाएगा

बैंक ऋण राशि (संवितरण से पहले उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में), इस स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित प्रभारों और ऋण राशि के संवितरण के समय उसके केएफएस से अग्रिम कटौती करने का हकदार होगा। बैंक उधारकर्ता की ओर से उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को शेष ऋण राशि का वितरण करेगा, जैसा भी मामला हो, और उधारकर्ता ऋण राशि को सहमत ब्याज के साथ और ऐसी तिथियों/अंतरालों पर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। जबकि उधारकर्ता के पास इन सभी शुल्कों को स्वयं वहन करने और संवितरण से पहले उन्हें अग्रिम भुगतान करने का विकल्प होता है, इस स्थिति में इन शुल्कों को बैंक द्वारा उधारकर्ता को वितरित की जा रही ऋण राशि से डेबिट नहीं किया जाएगा।

एक. स्वीकृत ऋण का वितरण बैंक द्वारा प्रस्तावित संपत्ति की जांच और स्वीकृति के बाद और बैंक के नियमों के अनुसार किया जाएगा

दो. (क) जिस दर पर ईएमआई की गणना की गई है, उस दर पर ईएमआई-पूर्व ब्याज संवितरण की संबंधित तारीख से लेकर ऋण के संबंध में ईएमआई शुरू होने की तारीख तक लिया जाएगा

(ख) ईएमआई में मूलधन और ब्याज शामिल होते हैं जिसकी गणना लागू दर पर मासिक विश्राम के आधार पर की जाती है, जिसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

तीन. ऋण निर्माण के चरणों और उस संबंध में बैंक के नियमों के अनुसार वितरित किया जाएगा, न कि आवश्यक रूप से, बिल्टर के समझौते के अनुसार।

चार. ऋण इस ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रस्तावित संपत्ति और/या ऐसी अन्य प्रतिभूति के पहले प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जैसा कि बैंक आवश्यक और स्वीकार्य पा सकता है। बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/रिपोर्टों/साक्ष्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि बैंक के पास गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है। खरीदी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति के मूल शीर्षक विलेख ऋण को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा जमा किए जाएंगे।

पाँच. बैंक को किसी भी परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा: पत्राचार पते / संपर्क विवरण में, रोजगार में परिवर्तन, नौकरी, व्यवसाय, पेशे की हानि, जैसा भी मामला हो सकता है, इस तरह के परिवर्तन/हानि के तुरंत बाद। उधारकर्ता संपत्ति में देरी, हानि/क्षति के कारणों को भी सूचित करेगा और संपत्ति में परिवर्तन/परिवर्तन को सूचित करेगा।

छ. यह स्वीकृति पत्र रद्द और रद्द हो जाएगा और पूरी तरह से शून्य और शून्य हो जाएगा यदि:

(अ) बैंक की एकमात्र राय में कोई भी भौतिक परिवर्तन, उस प्रस्ताव में होता है जिसके लिए यह ऋण, सिद्धांत रूप में स्वीकृत है;

(आ) आय से संबंधित बैंक की एकमात्र राय में कोई भी भौतिक तथ्य, या ऋण के लिए प्रस्ताव या आवेदन के किसी अन्य प्रासंगिक पहलू को रोक दिया जाता है, दबाया जाता है, छुपाया जाता है या बैंक को ज्ञात नहीं किया जाता है; (ग) ऋण आवेदन में दिया गया कोई भी कथन गलत या असत्य पाया जाता है;

सात. किस्त अनुसूची आम तौर पर मासिक किस्तों के बराबर होती है (यह ट्रेक्टर ऋण के मामले में त्रैमासिक या अर्धवार्षिक हो सकती है) पुनर्भुगतान अनुसूची के नियमों और शर्तों के अधीन है और परिचालन मुद्दों, छुट्टियों आदि को दूर करने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि नियत तारीखों पर ईएमआई की निकासी के लिए ईएमआई की नियत तारीख से 2-3 दिन पहले बैंक खातों में पर्याप्त शेष राशि रखें। दंडात्मक शुल्क और अन्य शुल्कों से बचने और अपराध की स्थिति से बचने के लिए।

आठ. संबंधित देय तिथियों पर देय और देय ईएमआई की राशि, अब तक वसूल किया गया मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, बची हुई ईएमआई की संख्या और ऋण की ब्याज दर को भी बैंक के एयू101 मोबाइल एप्लिकेशन से देखा / डाउनलोड किया जा सकता है।

नौ. सभी स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, राज्य स्टाम्प अधिनियम के अनुसार बैंक के पक्ष में आपके द्वारा निष्पादित किसी भी दस्तावेज का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा।

दस. बैंक द्वारा आवश्यक कानूनी और तकनीकी औपचारिकताओं का पालन न करने की स्थिति में, बैंक को भुगतान किए गए सभी शुल्क गैर-वापसी योग्य होंगे।

ग्यारह. इस पत्र को जारी करने से कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है और बैंक ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से या अन्यथा इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

बारह. बैंक ऊपर उल्लिखित संपाश्विक और प्रमुख प्रतिभूति के संबंध में सभी मूल दस्तावेजों को जारी करेगा और ऋण राशि/ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी रजिस्ट्री/प्राधिकरण के साथ ऐसी संपाश्विक और/या प्रमुख प्रतिभूति के संबंध में पंजीकृत अपने प्रभार को भी हटा देगा और क्रॉस कोलैटरलाइजेशन खंड के तहत कवर की गई सभी शर्तों की मंजूरी के अधीन होगा। यदि कोई हो। इस तरह के संपाश्विक और प्रमुख प्रतिभूति के संबंध में उक्त मूल दस्तावेज ऋण खाते को बंद करने के समय पूर्व लिखित अनुरोध पत्र देकर बैंक की किसी भी सेवा शाखा से एकत्र किए जा सकते हैं।

तेरह. इस पत्र में उल्लिखित ब्याज दर वर्तमान प्रचलित रेपो दरों पर आधारित है। बैंक के पास पहले संवितरण की तारीख से प्रचलित रेपो दरों पर ऋण देने का विकल्प होगा। पहले संवितरण/मंजूरी की तारीख से प्रचलित रेपो दरें अगली रीसेट तिथि तक लागू रहेंगी।

चौदह. कृपया ध्यान दें कि फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, बेंचमार्क ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन (वृद्धि या कमी), ईएमआई राशि या ऋण/सुविधा की अवधि या दोनों में वृद्धि या कमी के माध्यम से संबंधित प्रभाव डालेगा।

पंद्रह. अगर आप ईएमआई में वृद्धि या अवधि बढ़ाने या दोनों के संयोजन का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो आप नज़दीकी सर्विसिंग ब्रांच में जा सकते हैं और इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह बैंक के आंतरिक मूल्यांकन और विवेक के अधीन है

सोलह. कृपया ध्यान दें कि यदि आप ऋण/सुविधा के तहत ब्याज प्रकार की दर को फ्लोटिंग से फिक्स्ड में बदलना चाहते हैं, तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं और शुल्क अनुसूची में उल्लिखित लागू शुल्क का भुगतान करके अनुरोध कर सकते हैं

सत्रह. आरओआई में किसी भी परिवर्तन को आरबीआई के निर्देश के अनुसार पत्र/ईमेल/एसएमएस या किसी अन्य मोड के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

अठारह. कोई भी चूक, धोखाधड़ी, सीमा की अवधि के दौरान कानूनी अक्षमता, सहमत नियमों और शर्तों का अनुपालन न करना, आवश्यक कागजात जमा न करना, ऋण में बकाया राशि से अधिक उधारकर्ता की कोई अन्य अनियमितताएं बैंक को किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी छूट अवधि/इलाज अवधि के बावजूद ऋण को तुरंत वापस लेने में सक्षम बनाएंगी

उन्नीस. बैंक के पास ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा और बैंक के पास पड़ी बाध्यकारी की राशि या जमा या किसी अन्य संपत्ति पर सेट ऑफ होगा।

बीस. बैंक को ईबीआर/एमसीएलआर को किसी भी वैकल्पिक दर से प्रतिस्थापित करने/बदलने या ईबीआर/एमसीएलआर या ऐसी दर पर स्प्रेड को बदलने का अधिकार है, बैंक की नीति के अनुसार या आरबीआई/सांविधिक निर्देश द्वारा आवश्यक हो सकता है।

इक्कीस. बैंक पीएमएवाई-आईएसएस के तहत किफायती आवास योजना के अनुमोदन/अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यह अपेक्षित सरकारी प्राधिकरण से अनुमोदन के अधीन है।

बाईस. ऋण सुविधा पर लागू पूर्व भुगतान/अंश-भुगतान/फौजदारी शुल्क का उल्लेख एयू बैंक की वेबसाइट @ <https://www.au.bank.in/service-fee> पर शुल्क अनुसूची में किया गया है। उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि उसने शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित उपरोक्त शुल्कों और अन्य शुल्कों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है।

तेईस. उधारकर्ता संपत्ति की खरीद की तारीख से 6 महीने के भीतर संपत्ति पर निर्माण शुरू करने के लिए सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है और पहले संवितरण की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर संपत्ति पर निर्माण पूरा करता है और उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर बैंक की संतुष्टि के लिए इस आशय का आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करता है। उधारकर्ता को इस संबंध में बैंक की उचित पावती निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने के प्रमाण में प्राप्त करना होगा। उधारकर्ता को पता है कि बैंक से बिना किसी सूचना के यहां दिए गए उपरोक्त पुष्टिकरण और वचनपत्रों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी उधारकर्ता पर है और निर्धारित अवधि के भीतर इसे पूरा न करने की स्थिति में, केवल उधारकर्ता ही इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें ऋण की वापसी / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल हो सकता है। उधारकर्ता को पता है कि केवल उधारकर्ता की उपरोक्त पुष्टि और उपक्रम के आधार पर, बैंक यहां निर्धारित ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है और यदि उधारकर्ता यहां उल्लिखित उपरोक्त पुष्टिकरण और उपक्रमों का पालन करने में विफल रहता है, अर्थात् संपत्ति की खरीद की तारीख से 6 महीने के भीतर संपत्ति पर निर्माण शुरू करने में विफल रहता है और पूरा होने का आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करता है पहले संवितरण की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर निर्माण की दर के लिए, बैंक उधारकर्ता को बिना किसी और सूचना के ऋण की संपत्ति की ब्याज दर @ 22% प्रति वर्ष पर ऋण में बदल देगा और ऐसे मामले में, उधारकर्ता बाद के चरण में इस पर विवाद करने के अपने अधिकार को छोड़ देता है।

चौबीस. ऋण अवधि के दौरान आंशिक भुगतान/अतिरिक्त राशि के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि, आंशिक भुगतान लागू पूर्व भुगतान शुल्क, यदि कोई हो, की कटौती के बाद अगली ईएमआई तिथि से प्रभावी होगा।

"आपके ऋण से जुड़ी बीमा पॉलिसी जारी नहीं करने की स्थिति में, एकत्र की गई प्रीमियम राशि वापस कर दी जाएगी और बैंक को प्रदान किए गए विवरण के अनुसार आपके ऋण खाते या कासा (चालू खाता/बचत खाता) में जमा कर दी जाएगी।

अनुलग्नक ए

मुख्य तथ्य कथन

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/शुल्क)

1	ऋण प्रस्ताव/खाता सं.		ऋण का प्रकार	
2	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)			
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम रूप से। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें		चरणों में संवितरण कृपया स्वीकृति पत्र में संवितरण के तरीके के खंड का उल्लेख करें	
4	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)			
5	किस्त का विवरण			
	किश्तों का प्रकार	ईएमआई की संख्या	ईएमआई (₹)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
	मासिक पत्रिका			
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या परिवर्तनीय या फ्लेक्सी) फ्लेक्सी दर का अर्थ है पहले 3 वर्षों के लिए निर्धारित ब्याज दर			
7	ब्याज की परिवर्तनीय दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी			
	हवाला कसौटी	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)
				आवधिकता रीसेट करें (महीने)
				संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, में बदलें: 3.)
				जन्म
				दक्षिणी
				ईपीआई (₹)
				नहीं। ईपीआई की संख्या
	रेपो दर	एन / ए	एन / ए	एन / ए
8	शुल्क/शुल्क			
		आरई (ए) के लिए देय		आरई (बी) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय
		एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)	एक बार/आवर्ती
				राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)
1	प्रोसेसिंग फीस			
2	प्रशासनिक शुल्क			
3	मूल्यांकन शुल्क			
4	कानूनी आरोप			
5	आरसीयू शुल्क			
6	Cersai शुल्क			
7	संपार्श्विक बीमा (संपत्ति)			
8	ऋण सुरक्षा प्रीमियम			
9	केयर सीआई और पीए			
10	चोला, एमएस, पीए और HDC_HL			
11	स्टार HI, PA और HDC_HL			
12	स्टार HI GCI और PA_HL			
13	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीपीए और एचडीसी एचएल			
14	अभि पीए और HDC_HL			

15	आईसीआईसीआई Lombard_BGR_HL				
16	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीसीआई और पीए एचएल				
17	केयर पीए और HDC_HL				
18	आईसीआईसीआई Lombard_AUSS				
19	आदित्य बिड़ला सीआईपीए v2.0 एचएल				
20	ABHI_AUSS				
21	CARE_AUSS				
22	एयू एसएस Insurance_TATA AIG_HL				
23	एयू एसएस Insurance_CHOLA MS_HL				
24	स्टार HI AU SS_HL				
25	कोटक जीवन Insurance_AHL				
26	स्टैंडअलोन ईएमआई प्रोटेक्ट				
27	PA+ EMI प्रोटेक्ट				
28	सीआईपीए				
29	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड-Hospicash_AHL				
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)				
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)				
(i)	भुगतान में देरी के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो,	ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क: 1000 रुपये (या उसके हर हिस्से) पर 0.65 रुपये प्रति बकाया किस्त पर रोजाना शुल्क लिया जाएगा।			
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	एनए			
(iii)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो	यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है		बंद होने के समय शेष राशि का 5%।	
		यदि 12 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 36 महीने तक भुगतान किया जाता है		बंद होने के समय शेष राशि का 4%।	
		*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।			
(iv)	से ऋण बदलने के लिए शुल्क निश्चित दर के लिए चर/फ्लोटिंग और इसके विपरीत	बकाया मूलधन का 1%			
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	(प्रभारों की अनुसूची के अनुसार) - https://www.au.bank.in/service-fee			

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	बैंक, अपने विवेकाधिकार में, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तीसरे पक्ष (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से। उधारकर्ता बैंक को इस बात की पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से सहमति देता है कि चूक की घटना होने पर, बैंक या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तीसरे पक्षों (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से उधारकर्ता/गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान किए गए संपर्क विवरण का उपयोग करने के लिए उधारकर्ता/गारंटर से संपर्क करने के लिए अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि और परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए और उनसे संबंधित प्रासंगिक विवरण का खुलासा करने के लिए बैंक को ऋण। बैंक ने बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति ब्याज के कब्जे की नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीति देय राशि के संग्रह और प्रतिभूति के पुनः कब्जे के संबंध में उचित प्रथाओं को सूचीबद्ध करती है और इस प्रकार ग्राहकों के विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देती है। बैंक बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति के कब्जे के लिए वसूली एजेंटों की सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। विस्तृत नीति को नोटिस बोर्ड के तहत एयू बैंक की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।												
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	समझौते/नियम और शर्तों से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत के निवारण के लिए, उधारकर्ता बैंक की शिकायत निवारण नीति में निर्धारित निवारण तंत्र को अपना सकता है, जिसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है www.au.bank.in और/या मैट्रिक्स के अनुसार नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है और यहां दिए गए ईमेल/फोन नंबर पर संपर्क कर सकता है।												
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	<table border="1"> <tr> <td>स्तर 1</td><td>कॉल सेंटर</td><td>कॉल करें: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in प्रतिक्रिया/शिकायतें: कृपया "हमसे संपर्क करें" लिंक या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर www.au.bank.in पर जाएं।</td></tr> <tr> <td></td><td>शाखा</td><td>(कृपया निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए www.au.bank.in पर जाएं)</td></tr> <tr> <td>स्तर 2</td><td>क्षेत्रीय नोडल अधिकारी</td><td>ग्राहक की संतुष्टि के लिए 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को भेज सकता है। कृपया "हमसे संपर्क करें" पर www.au.bank.in पर जाएं और "प्रधान नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों का विवरण" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी: https://www.au.bank.in/grievanceredressal-mechanism.pdf के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचें।</td></tr> <tr> <td>स्तर 3</td><td>प्रधान नोडल अधिकारी</td><td>यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी, शिकायत को प्रधान नोडल अधिकारी के पास भेजा जा सकता है: श्री पंकज गुप्ता पता: CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, अपैरल पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 संपर्क नंबर: 0141-6660645 ईमेल: pno@aubank.in</td></tr> </table>	स्तर 1	कॉल सेंटर	कॉल करें: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in प्रतिक्रिया/शिकायतें: कृपया "हमसे संपर्क करें" लिंक या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर www.au.bank.in पर जाएं।		शाखा	(कृपया निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए www.au.bank.in पर जाएं)	स्तर 2	क्षेत्रीय नोडल अधिकारी	ग्राहक की संतुष्टि के लिए 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को भेज सकता है। कृपया "हमसे संपर्क करें" पर www.au.bank.in पर जाएं और "प्रधान नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों का विवरण" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी: https://www.au.bank.in/grievanceredressal-mechanism.pdf के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचें।	स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी, शिकायत को प्रधान नोडल अधिकारी के पास भेजा जा सकता है: श्री पंकज गुप्ता पता: CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, अपैरल पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 संपर्क नंबर: 0141-6660645 ईमेल: pno@aubank.in
स्तर 1	कॉल सेंटर	कॉल करें: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in प्रतिक्रिया/शिकायतें: कृपया "हमसे संपर्क करें" लिंक या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर www.au.bank.in पर जाएं।												
	शाखा	(कृपया निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए www.au.bank.in पर जाएं)												
स्तर 2	क्षेत्रीय नोडल अधिकारी	ग्राहक की संतुष्टि के लिए 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को भेज सकता है। कृपया "हमसे संपर्क करें" पर www.au.bank.in पर जाएं और "प्रधान नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों का विवरण" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी: https://www.au.bank.in/grievanceredressal-mechanism.pdf के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचें।												
स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी, शिकायत को प्रधान नोडल अधिकारी के पास भेजा जा सकता है: श्री पंकज गुप्ता पता: CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, अपैरल पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 संपर्क नंबर: 0141-6660645 ईमेल: pno@aubank.in												
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)	हाँ												
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:													

मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ		साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ	मिश्रित ब्याज दर
एन / ए		एन / ए	एन / ए
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:		
(i)	आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	एन / ए	
(ii)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	एन / ए	

गृह निर्माण के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

Sr.No I	प्राचल	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 2 - भाग 1)	
2	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 4 - भाग 1)	
a)	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
c)	नहीं। पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो,	
d)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या परिवर्तनीय या फ्लेक्सी) (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 6 - भाग 1)	
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 6 - भाग 1)	
5	स्वीकृति तिथि को प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
A	आरई के लिए देय (केएफएस टेम्पलेट-भाग 8 का एसएल नंबर 1)	
जन्म	आरई के माध्यम से रूट किए गए तृतीय-पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 8बी - भाग 1)	
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 की राशि) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 9- भाग 1)	
10	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

अनुलग्नक बी में दर्शाए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के तहत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची

किस्त संख्या	बकाया मूलधन (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				

72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				

110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				

139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				

148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				

187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				

225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				

उधारकर्ता और गारंटर इस दस्तावेज़ की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ने और समझने की बात स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इस दस्तावेज़ में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर/सामान्य मुहर लगा रहा है, जो इसका प्रमाण देता है। उधारकर्ता और गारंटर आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि पार्टियों को इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता और गारंटर ने स्वेच्छा से इस दस्तावेज़ में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के रूप में माना जाएगा।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज़ को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज़ को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

मैं/हम उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं, जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और दिनांकित हैं।

दिनांक:

दिनांक:



Disclaimer : - Please note that above mentioned credit facility agreement, terms & conditions, key fact statement and other associated documents are translated from the original document in English using technology for customer's Convenience and to improve transparency in communication. which can have few aberrations, brevity and grammatical errors hence for any legal purposes English version of document (appended) will be referred.

